आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-207/2022

योगेन्द्र प्रसाद.....वादी

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा M.J.C. No. 1918/2021(C.W.J.C. No. 15158/2018, योगेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से व्युत्पन्न) में दिनांक 20.10.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".....the order dated 26.04.2021 passed in C.W.J.C No. 15158 of 2018 is modified and it is directed that if the petitioner prefers a revision before the Commissioner against the appellate order passed by the Collector then the same shall be decided expeditiously preferably within the period of three months from the date of filing of revision application. If such revision application is filed then the limitation shall be condoned by the authority considering the pendency of this modification petition before this Court and the revision will be decided on its merits."

2. प्रस्तुत वाद का विषय-वस्तु यह है कि वादी श्री योगेन्द्र प्रसाद, पिता-फौदी साह, ग्राम-खैरा, पंचायत-नवादा, प्रखंड-जलालपुर, जिला-सारण के एक जन वितरण प्रणाली केन्द्र के विक्रेता (अनुज्ञप्ति सं0-34/16) रहे है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जलालपुर द्वारा दिनांक 23.09.2017 को वादी के जन वितरण प्रणाली केन्द्र की जाँच की गयी, जाँच के क्रम में पायी गयी/दृष्टिगोचर अनियमितता निम्नलिखित है:-

(i) विक्रेता को दिनांक 0-09.2017 को खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी थी जिसका वितरण जाँच की तिथि तक उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया था।

(ii) खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने के कारण और उसकी कालाबाजारी की आशंका से उपभोक्ताओं द्वारा दुकान में तालाबन्दी की गयी थी।

(iii) जाँच के समय उपस्थित 14 उपभोक्ताओं का राशन कार्ड का अवलोकन करते हुए उनका लिखित बयान लिया गया। किसी भी कार्डधारी के राशन कार्ड में माह सितम्बर, 2017 के वितरित खाद्यान्न आपूर्ति की प्रविष्टि नहीं पाई गयी साथ ही सभी उपभोक्ताओं द्वारा भी खाद्यान्न नहीं मिलने की पुष्टि की गयी।

(iv) जाँच के समय विक्रेता स्वयं दुकान पर उपस्थित थे। जाँच पदाधिकारी के कहने पर उपभोक्ताओं द्वारा दुकान में बन्द ताले को खोल दिया गया परन्तु विक्रेता द्वारा चाबी छपरा छूट जाने की बात कहकर अपना ताला नहीं खोला गया।

(v) विक्रेता द्वारा जाँच पदाधिकारी के समक्ष दुकान संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं

किया गया। जिसके कारण भण्डार एवं कागजातों का सत्यापन नहीं किया जा सका।
(vi) उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न अधिक मूल्य पर देने की शिकायत के साथ एक उपभोक्ता मोहन राय द्वारा विगत चार माह से खाद्यान्न नहीं मिलने की बात बताई गई।

3. जाँच के क्रम में पायी गयी उक्त अनियमितताओं के बिन्दु पर अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के ज्ञापांक-1894, दिनांक 12.10.2017 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि दुकान से संबंधित पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं किया गया है, अन्त्योदय योजना के वितरण पंजी में अनाज की मात्रा एवं उसके राशि में काट-छॉट किया गया हैं तथा उससे संबंधित कैशमेमों प्रस्तुत नहीं किया गया है, वितरण पंजी में वितरण की तिथि अंकित नहीं किया गया है। इसके अलावे दिनांक 09.09.2017 को खाद्यान्न आपूर्ति के पश्चात दिनांक 25.09.2017 तक खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने तथा प्लास्टिक के बोरे में गेहूँ पाए जाने के कारण कालाबाजारी की मंशा प्रतीत होने, तथा निर्धारित से कम खाद्यान्न की आपूर्ति अधिक मूल्य पर किए जाने की पुष्टि उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा की गयी है।

उक्त के आधार पर अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के आदेश ज्ञापांक-2015, दिनांक 07.11.2017 द्वारा विक्रेता की पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति सं0-34/2016 रद्द कर दी गयी।

4. अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के उक्त आदेश के असंतुष्ट होकर वादी द्वारा **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के धारा 32(i)** के तहत जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0-72/2017 दायर किया गया। वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 28.08.2018 को पारित आदेश में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को इस आधार पर यथावत रखा गया कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया है, विक्रेता द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं है, साथ ही विक्रेता द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधानों के विपरीत आचरण कर अनियमितता बरती गयी है।

5. अपीलीय प्राधिकार के आदेश से विक्षुब्ध होकर वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी सं0-15158/2018, दिनांक 31.07.2018 को दायर किया गया, जिसमें दिनांक 26.04.2021 को वाद की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर तीन माह में पूर्ण करने का आदेश पारित किया गया। चूँकि जिला दण्डाधिकारी के समक्ष संचालित अपीलवाद में दिनांक 28.08.2018 को ही आदेश पारित किया जा चुका था, अतएव वादी योगेन्द्र प्रसाद

के द्वारा दिनांक 07.10.2021 को एम0जे0सी0 सं0-1918/2021 (सी0डब्ल्यू0जे0सी0-15158/2018 से व्युत्पन्न) दायर किया गया। जिसमें वाद को पुनरीक्षण प्राधिकार-सह-आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने संबंधित आदेश दिनांक 20.10.2022 को पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि वादी पर लगाए गए सभी छः आरोप कानूनी रूप से अस्पष्ट है और अनुमान के आधार पर लगाये गए है। उनके द्वारा आरोपों का बिन्दुवार जवाब देते हुए बताया गया कि,

(i) पहले आरोप में अंकित किया गया है कि खाद्यान्न का वितरण जाँच की तिथि तक नहीं किया गया है, जबकि जाँच किस तिथि को की गयी है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) दूसरे आरोप के संबंध में कहा गया कि उपभोक्ताओं के द्वारा उनके दुकान में तत्समय तालाबंदी किया गया था, जो कानून का उल्लंघन और अराजकता का मामला है।

(iii) तीसरे आरोप में कुल 14 उपभोक्ताओं द्वारा लिखित बयान दिए जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु एक भी उपभोक्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि तत्समय वहाँ उपस्थित भीड़ को देखकर अनुमान के आधार पर आरोप लगा दिया गया है।

(iv) चतुर्थ आरोप के विषय में बताया गया कि वादी की पत्नी की तबीयत खराब रहने एवं छपरा में चिकित्सारत रहने के कारण वादी परेशानी की स्थिति में थे, ऐसे में भूलवश दुकान की चाबी छपरा में ही छूट गयी थी। जिसके कारण उनके द्वारा ताला नहीं खोला जा सका तथा भण्डार एवं कागजातों का सत्यापन नहीं कराया जा सका।

(v) एक उपभोक्ता मोहन राय द्वारा विगत चार माह से खाद्यान्न नहीं मिलने के आरोप में कहा गया कि उक्त उपभोक्ता को किन चार माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही किन उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न अधिक मूल्य पर दिए गए है उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि वादी के स्पष्टीकरण को अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा द्वारा किस आधार पर असंतोषजनक पाते हुए अस्वीकार किया गया है, इसके संबंध में अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के अलावा विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि आपूर्ति मामलें में अपीलवाद

सुनने की शक्ति जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त नहीं है।

अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा आपूर्ति अपीलवाद सं0-72/2017 में दिनांक 28.08.2018 को पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाए।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपीलकर्त्ता के तर्कों का खंडन कर बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जलालपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक-2015, दिनांक 07.11.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वादी के दुकान की जाँच दिनांक 23.09.2017 एवं दिनांक 25.09.2017 को की गयी है। अन्य आरोपों के संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि जाँच के समय वादी द्वारा बिना किसी पूर्वानुमति के अपना दुकान बंद रखा गया तथा दुकान से संबंधित कागजातों का निरीक्षण नहीं कराया गया है जो **"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के क्रमशः कंडिका 15(ii) एवं कंडिका 14(viii)** में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावे एक उपभोक्तआ मोहन राय द्वारा जाँच के समय विगत चार माह से खाद्यान्न नहीं मिलने तथा उपस्थित कतिपय उपभोक्ता द्वारा निर्धारित से कम मात्रा में तथा निर्धारित से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न दिए जाने की शिकायत की गयी है जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i)** में अंकित प्रावधान का उल्लंघन है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे कहा गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा वादी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया है। इस क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों को असंतोषजनक पाए जाने तथा विभागीय निर्देश के उपर्युक्त कंडिकाओं के उल्लंघन किए जाने के आधार पर उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अनुरोध किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिरहित है, अतएव उसे यथावत रखा जाए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों और निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

उक्त के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) निम्न न्यायालीय आदेश में प्रश्नगत पी0डी0एस0 केन्द्र की जाँच दिनांक 23.09.2017 को किए जाने का उल्लेख किया गया है, ऐसे में अपीलकर्त्ता द्वारा यह कहा जाना कि जाँच की तिथि का उल्लेख नहीं है, मान्य नहीं है।

(ii) वादी का पक्ष है कि उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा उनके दुकान में तत्समय तालाबंदी की गयी थी। उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के क्रियाकलाप से उनके उपभोक्ता नाखुश थे, जिसके कारण उपभोक्ताओं द्वारा उनके पी0डी0एस0 दुकान में तालाबंदी की गयी थी।

(iii) वादी द्वारा अपने पत्नी के बीमार रहने तथा छपरा में चिकित्सारत रहने का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा दुकान की चाबी छपरा में ही छूट जाने की बात कही गयी है। परंतु अभिलेख के अवलोकन में ऐसा कोई कागजात या चिकित्सीय पुर्जा संलग्न नहीं पाया गया है, जिससे उनके कथन की पुष्टि की जा सके। इस स्तर पर भी सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा अपनी पत्नी के तत्समय चिकित्सारत रहने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसके साथ ही दुकान बंद रखे जाने से पूर्व वादी द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए जाने का कोई उल्लेख/साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं पाया गया है जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 15(ii)** में अंकित प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

(iv) एक उपभोक्ता मोहन राय द्वारा विगत चार माह से खाद्यान्न नहीं मिलने के बिन्दु पर वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त उपभोक्ता को खाद्यान्न दिया गया है अथवा नहीं। उनके द्वारा अपने बचाव में मात्र यह कहा गया है कि आरोप में किन चार माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया है, वह स्पष्ट नहीं है।

उक्त से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनिमियतता बरती गयी है जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 14(i)** में अंकित अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के असंतोष का पर्याप्त आधार है। साथ-साथ वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क की आपूर्ति मामलें में अपीलवाद सुनने की शक्ति जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जिला पदाधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी एक पद पर पदस्थापित एक पदाधिकारी द्वारा किया जाने वाला अलग-अलग कार्य है।

उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट है कि वादी द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कतिपय कंडिकाओं में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से प्रश्नगत पी0डी0एस0 केन्द्र का संचालन किया गया है, जो सरकार के जन वितरण प्रणाली के उद्देश्यों का सर्वथा उल्लंघन प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से निम्न न्यायालीय आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।